बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(A STATE UNIVERSITY)
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /567 /अका./ब.वि.वि./2020 जगदलपुर, दिनांक 20/08/2020

//विद्यापरिषद बैठक का कार्यवाही विवरण//

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 20.08.2020 को अपरान्ह 12.00 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से उक्त तिथि एवं समय में आयोजित बैठक में जिला–बस्तर/जगदलपुर मुख्यालय में निवासरत निम्नलिखित सदस्य उपस्थित होकर बैठक में सम्मिलित हुए तथा शेष सदस्य जो जिला–बस्तर/जगदलपुर मुख्यालय से बाहर/अन्य जिले में निवासरत हैं, वह निर्धारित बैठक तिथि एवं समय अनुसार विडियो कॉन्फ्रेसिंग (Google Meet App) के माध्यम से बैठक में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हुए :–

बैठक में उपस्थित सदस्य :–

1.	प्रोफेसर शैलेन्द्र कुमार सिंह , कुलपति, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष
2.	डॉ. व्ही.के. बघेल, सहायक प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष इतिहास
3.	डॉ. डी.एल. पटेल, सहायक प्राध्यापक भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	अध्यक्ष भूगोल
4.	श्री घनश्याम ठाकुर, सहायक प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष मनोविज्ञान
5.	डॉ. असीम रंजन सरकार, सहायक प्राध्यापक क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष संगणक
6.	डॉ. विनोद कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	विभागाध्यक्ष समाजकार्य अध्ययनशाला
7.	डॉ. व्ही.के.पाठक, कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	सचिव

गूगल मीट के माध्यम से सम्मिलित सदस्य :–

8.	डॉ. आर.के. हिरकने, प्राध्यापक शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	संकायाध्यक्ष – वाणिज्य संकाय

20 AUG 2020

9. डॉ. के.इंदिरा, प्राध्यापक — संकायाध्यक्ष – विज्ञान संकाय
शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर

10. डॉ. (श्रीमती) रश्मि शुक्ला, प्राध्यापक — संकायाध्यक्ष – गृह विज्ञान
शासकीय दन्तेश्वरी कन्या महाविद्यालय, जगदलपुर

11. डॉ. शरद नेमा, सह प्राध्यापक — अध्यक्ष
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर — वानिकी एवं वन्यजीव

12. डॉ. गुरूचरण सिंह सलूजा, प्राध्यापक — अध्यक्ष
शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर — गणित

13. डॉ. एस.के. दत्ता, सहायक प्राध्यापक — अध्यक्ष
शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर — प्राणीशास्त्र

14. श्री अभिषेक बाजपेयी, सहायक प्राध्यापक — अध्यक्ष
शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर — भौतिकशास्त्र

15. डॉ. मोहन सोलंकी, सहायक प्राध्यापक — अध्यक्ष
शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर — विधि

16. डॉ. स्वपन कुमार कोले, सह प्राध्यापक — अध्यक्ष
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर — मानवविज्ञान

17. श्रीमती जयश्री साहू, सहायक प्राध्यापक — अध्यक्ष
शासकीय नवीन महाविद्यालय, केशकाल — सूक्ष्मजीव विज्ञान

18. डॉ. रामायण प्रसाद टण्डन, सहायक प्राध्यापक — अध्यक्ष
शासकीय इन्दु केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर — हिन्दी

19. सुश्री तस्नीम अख्तर, सहायक प्राध्यापक — अध्यक्ष
शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर — अंग्रेजी

20. श्री हंसराज रंहगडाले, सहायक प्राध्यापक — अध्यक्ष
शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर — संस्कृत

21. डॉ. आनंदमूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक — विभागाध्यक्ष
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर — एम.ए. अंग्रेजी अध्ययनशाला

22. डॉ. सजीवन कुमार, सहायक प्राध्यापक — विभागाध्यक्ष
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर — मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला

23. डॉ. सुकृता तिर्की, सहायक प्राध्यापक — विभागाध्यक्ष
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर — एम.ए. राजनीतिविज्ञान अध्ययनशाला

24. डॉ. सरला आत्राम, प्राचार्य, — सदस्य
शासकीय महाविद्यालय, सरोना

विशेष आमंत्रित सदस्य –

25. श्री चुन्नी लाल टंडन, सहायक कुलसचिव (अकादमिक) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
26. श्री देवचरण गावड़े, सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

20 AUG 2020

विषय क्रमांक –1

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद के पूर्व बैठक के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय –

विद्यापरिषद के सम्माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पूर्व बैठक के कार्यवाही विवरण की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्रमांक –2

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, कांकेर में शैक्षणिक सत्र 2020–21 से द्विवर्षीय बी.एड. नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम संबद्धता आदेश जारी किया गया है। प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :–

क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पश्चिम क्षेत्रीय समिति द्वारका नई दिल्ली के आदेश के परिपालन में प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, कांकेर के पत्रानुसार तथा विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार द्विवर्षीय बी.एड. (सीट संख्या 50) पाठ्यक्रम का संबद्धता आदेश जारी किया गया है।

निर्णय –

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक –3

वार्षिक परीक्षा मार्च–अप्रैल 2020 एवं सेमेस्टर परीक्षा जून–2020 के लिए परीक्षा संबंधी समस्त परिनियम एवं अध्यादेश को शिथिल करते हुए परीक्षा आयोजन ,मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम जारी करने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन के आदेश क्र एफ 3–33/2020/38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 01/06/2020 एवं क्रमांक एफ 3–33/2020/38–1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/07/2020 के परिपालन में वार्षिक परीक्षा मार्च–अप्रैल 2020 एवं सेमेस्टर परीक्षा जून–2020 के लिए परीक्षा संबंधी समस्त परिनियम एवं अध्यादेश को शिथिल करते हुए परीक्षाओं के आयोंजन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परीक्षा परिणाम एवं अंकसूची जारी करने हेतु समिति गठित की गयी है। कोविड–19 के कारण उत्पन्न समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा लिया गया अनुशंसा किया गया है।

निर्णय –

सत्र 2019–20 की शेष परीक्षाओं के आयोजन और परीक्षा परिणाम की घोषण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 01.06.2020, 30.07. 2020 एवं 08.08.2020 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.08.2020 में की गई अनुशंसा और कार्यपरिषद की 27वीं बैठक (आपात) दिनांक 10.08.2020 में लिए गये निर्णय एवं प्राप्त अनुमोदन के अनुसार कार्यवाही किये जाने की सूचना समस्त सम्माननीय सदस्यों को दी गई है। सदस्यों द्वारा सूचना ग्रहण की गई।

20 AUG 2020

विषय क्रमांक –4

विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा वार्षिक एवं सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के पूर्ण होने की अवधि संबंधी यू.जी.सी. द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर से संबंद्ध समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर सेमेस्टर/वार्षिक पद्धति से अध्यापन एवं परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सेमेस्टर/वार्षिक पद्धति में किसी पाठ्यक्रम के पूर्ण होने की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नही है जिसके कारण पाठ्यक्रम पूर्ण होने की अवधि में संशय की स्थिति निर्मित होने के साथ ही नियमानुसार उचित निर्णय लेने में असुविधा होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पाठ्यक्रमों के पूर्ण होने के अवधि संबंधी दिशा/निर्देश जारी किया गया है। जिसके अनुसार N+2 अवधि में संचालित पाठ्यक्रमों को पूरा किया जाना है। जारी निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम पूर्ण होने की अवधि को एक वर्ष शिथिल कर सकता है अर्थात N+2+1 के तहत पाठ्यक्रम पूर्ण होने की अवधि निर्धारित कर सकता हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी उक्त निर्देशों का परिपालन हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा किया गया है। उक्त व्यवस्था को बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर से संबद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के लिए अंगीकृत किया जा सकता हैं। इससे किसी भी पाठ्यक्रम के पूर्ण होने की अवधि में संशय एवं अस्पष्टता नहीं होगी।

निर्णय –

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पाठ्यक्रमों के पूर्ण होने के अवधि संबंधी जारी दिशा/निर्देश अनुसार N+2+1 के तहत पाठ्यक्रम पूर्ण होने की अवधि निर्धारित करने पर सहमति दी गई है।

विषय क्रमांक –5

अंकसूची त्रुटि सुधार, स्वर्ण पदक/प्रवीण्य प्रमाण–पत्र, पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् उत्तरपुस्तिका प्राप्त करने तथा त्रिस्तरीय मूल्यांकन हेतु आवेदन, परीक्षा केन्द्र परिवर्तन एवं शिकायत हेतु ऑनलाईन सुविधा किया गया है प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप

कोविड–19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची त्रुटि सुधार, स्वर्ण पदक/प्रवीण्य प्रमाण–पत्र, पुनर्मल्यांकन के पश्चात् उत्तरपुस्तिका प्राप्त करने तथा त्रिस्तरीय मूल्यांकन हेतु आवेदन, परीक्षा केन्द्र परिवर्तन एवं शिकायत हेतु ऑनलाईन सुविधा हेतु संदर्भित अधिसूचना कमांक/344/परीक्षा/गोपनीय/2020 जगदलपुर, दिनांक 30/07/2020 में जारी किया गया है। संदर्भित अधिसूचना के अनुसार दिनांक 01/08/2020 से छात्र/छात्रायें ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

20 AUG 2020

निर्णय –

ऑनलाईन सुविधा दिये जाने पर सहमति दी गई। साथ ही छात्र–छात्राओं को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में भी ऑनलाईन कार्य सम्पादित करने की सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक –6

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार परीक्षा/अधिकतम अंक योजना को लागू करने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप –

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक 2468/886/आउशि/सम/ 2019 दिनांक 24/05/2019 को जारी शैक्षणिक सत्र 2019–20 के अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार आंतरिक परीक्षाओं का आयोजन करने एवं कड़ाई से पालन करने हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को निर्देश जारी किया गया था। कोविड–19 के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार समस्त परीक्षायें स्थगित की गयी है उक्त सभी स्थगित परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम असाइमेंट/आंतरिक परीक्षाओं के मूल्यांकन के आधार पर घोषित करने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के परिपालन में समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया गया है। किन्तु महाविद्यालयों द्वारा अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार आंतरिक परीक्षाओं का आयोजन गंभीरता पूर्वक नहीं किया जा रहा है।

अतः भविष्य में इस तरह की प्राकृतिक आपदा/महामारी को दृष्टिगत रखते हुए बस्तर विष्वविद्यालय के समस्त संबद्ध महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा योजना का पालन करते हुए आंतरिक परीक्षाओं को निम्नानुसार सत्र 2020–21 से आयोजित किया जाना उचित होगा–

क.	परीक्षा का नाम		परीक्षा योजना
1	प्रथम यूनिट परीक्षा	–	प्रति इकाई 25 अंक
2	द्वितीय यूनिट परीक्षा	–	प्रति इकाई 25 अंक
3	प्रथम सत्र परीक्षा	–	प्रत्येक प्रश्न पत्र के अधिकतम अंक के अनुसार
4	तृतीय यूनिट परीक्षा	–	प्रति इकाई 25 अंक
5	द्वितीय सत्र परीक्षा	–	प्रत्येक प्रश्न पत्र के अधिकतम अंक के अनुसार
6	चतुर्थ यूनिट परीक्षा	–	प्रति इकाई 25 अंक
7	प्री फाईनल परीक्षा	–	प्रत्येक प्रश्न पत्र के अधिकतम अंक के अनुसार

यदि कोई परीक्षार्थी क्रमांक 1 से 7 तक के आंतरिक परीक्षा में कतिपय कारणों से सम्मिलित नही हो पाता है, तो महाविद्यालय अपनी सुविधानुसार उपरोक्त परीक्षा पुनः आयोजित करेंगें। अतः उपरोक्तानुसार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार परीक्षा/अधिकतम अंक योजना को लागू करने विद्यापरिषद में प्रस्ताव मान्य हेतु विद्यापरिषद की बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगें।

20 AUG 2020

निर्णय –

सत्र 2020–21 के लिए शासन के द्वारा जारी किये जाने वाले अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही करने एवं उपरोक्तानुसार परीक्षा/अधिकतम अंक योजना को लागू करने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में आन्तरिक मूल्यांकन/यूनिट टेस्ट/सत्र परीक्षा/असाईन्मेन्ट/प्रीफाइनल टेस्ट आदि समय–समय पर लिए जाने और छात्र–छात्राओं की शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त परीक्षाओं के माध्यमों को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक –7

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 29 एवं परिनियम 11 के अनुसार अध्ययन मण्डल को प्राप्त शक्तियों के तहत पाठ्यक्रम संशोधन/संवर्धन एवं अन्य आवश्यक कार्य निष्पादन हेतु दिनांक 08.07.2020 से 22.07.2020 तक विभिन्न 29 विषयों के अध्ययन मंडल की बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में उपस्थित संबंधित विषयों के अध्ययन मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 में परिवर्तन किये जाने वाले स्नातक, स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव/सुझाव निम्नानुसार प्राप्त हुए है :–

स्नातक –

1. **वानिकी एवं वन्यजीव** – बी.एस–सी. वानिकी पाठ्यक्रम आधारित प्रायोगिक कार्य में संशोधन संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

2. **भू–गर्भशास्त्र** – संशोधन संबंधी प्रस्ताव दिया गया है।

3. **विधि** – विधि पाठ्यक्रम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

4. **संगणक** – पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित PGDCA, B.Sc. (C.S.), B.Com. (Computer), B.Sc. (I.T.), B.C.A. & DCA का पाठ्यक्रम को बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में यथावत लागू करने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

बी.सी.ए. के पाठ्यक्रम को वार्षिक परीक्षा पद्धति के स्थान पर सेमेस्टर पद्धति में बदलने हेतु आवश्यक प्रस्ताव केन्द्रीय अध्ययन मंडल को प्रेषित करने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

5. **अंग्रेजी** – बी.ए.,बी.एस–सी, बी.कॉम एवं बी.एच.एस–सी प्रथम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

20 AUG 2020

6. वाणिज्य – संशोधन संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

7. शिक्षा – द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

8. मनोविज्ञान – स्नातक मनोविज्ञान पाठ्यक्रम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

9. सूक्ष्मजीव विज्ञान – कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए बी.एस–सी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शिक्षा सत्र 2020–21 हेतु लगभग 30 प्रतिशत की कटौती का सुझाव दिया गया है, जो संलग्न है।

स्नातकोत्तर –

1. वानिकी एवं वन्यजीव – एम.एस.सी. वानिकी एवं वन्यजीव के पाठ्यक्रम में प्रायोगिक कार्य में संशोधन संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

2. रसायनशास्त्र – एम.एस.सी रसायनशास्त्र में संशोधन संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

3. मानवविज्ञान – एम.ए. / एम.एस.सी मानवविज्ञान में संशोधन संबंधी पूर्ण सिलेबस दिया गया है जो संलग्न है।

4. संगणक – पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित M.Sc. (C.S.). M.Sc. (I.T.), M.C.A., का पाठ्यक्रम को बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में यथावत लागू करने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

AICTE के संलग्न पत्र क्रमांक AICTE/AB/MCA/2020-21 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार एम.सी.ए. तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के स्थान पर दो वर्ष करने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

5. इतिहास – 01. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित एम.ए. इतिहास वार्षिक पाठ्यक्रम को बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 से यथावत लागू करने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है। (संशोधित पाठ्यक्रम संलग्न है)

02. बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की एम.ए. इतिहास प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में एक अन्य प्रश्न पत्र प्रोजेक्ट एवं मौखिक परीक्षा शामिल किये जाने की अनुशंसा की जाती है। यह प्रश्न पत्र प्रत्येक सेमेस्टर में क्रमशः प्रोजेक्ट वर्क 60 अंक तथा मौखिक परीक्षा 40 अंक करने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है।

03.अमहाविद्यालयीन एम.ए. इतिहास पूर्व / अंतिम में भी प्रोजेक्ट वर्क तथा मौखिक परीक्षा ली जाय। एम.ए. इतिहास पूर्व तथा अंतिम दोनो परीक्षाओं में 100 अंक का अलग–अलग प्रोजेक्ट कार्य किया जाय। यह अंक प्रोजेक्ट वर्क 60 अंक तथा मौखिक परीक्षा 40 अंक करने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है।

04.परीक्षार्थी अथवा विद्यार्थी को प्रोजेक्ट कार्य या विषय उनसे संबंधित परीक्षा केन्द में इतिहास विषय के प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक से प्राप्त होगा, इसकी अनुशंसा की गई है।

20 AUG 2020

05. बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में इतिहास विभाग स्थापित किया जाय। इस विभाग में प्राचीन मध्यकालीन तथा आधुनिक कालीन बस्तर के इतिहास एवं संस्कृति का अध्ययन कराया जाय, ताकि विद्यार्थियों को बस्तर के वैभवशाली इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सके।

6. समाजशास्त्र – पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित एम.ए. समाजशास्त्र पूर्व/अंतिम वार्षिक पाठ्यक्रम को बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में यथावत लागू करने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

7. राजनीतिविज्ञान – पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित एम.ए. राजनीतिविज्ञान पूर्व/अंतिम वार्षिक पाठ्यक्रम को बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में यथावत लागू करने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

8. अर्थशास्त्र – पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित एम.ए. अर्थशास्त्र पूर्व/अंतिम वार्षिक पाठ्यक्रम को बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में यथावत लागू करने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

9. हिन्दी – एम.ए. हिन्दी पूर्व/अंतिम वार्षिक एवं सेमेस्टर पाठ्यक्रम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

10. अंग्रेजी – एम.ए. वार्षिक पाठ्यक्रम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

11. भूगोल – एम.ए. चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन (Field Project Report) 100 अंक का परीक्षार्थियों द्वारा जमा किया जाता है उक्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मार्गदर्शक (Guide) के द्वारा कई बार जॉच एवं निरीक्षण किया जाता है अतः मूल्यांकन 50–50 अंक के आधार पर आंतरिक एवं बाह्य परीक्षण का प्रावधान किये जाने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है, जो संलग्न है।

12. वाणिज्य – पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित एम.कॉम. पूर्व/अंतिम वार्षिक पाठ्यक्रम को बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में यथावत लागू करने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

13. समाजकार्य – संशोधन संबंधी प्रस्ताव दिया गया है जो संलग्न है।

14. बायोटेक्नोलॉजी – एम.एस–सी. बायोटेक्नोलॉजी विषय में संशोधन संबंधी पूर्ण सिलेबस दिया गया है जो संलग्न है।

विभागीय टीप :–

स्नातक पाठ्यक्रमों में परिवर्तन/संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव को आगामी केन्द्रीय अध्ययन मंडल की बैठक में प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकता है तथा स्नातकोत्तर एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के संबंधित विषयों के परिवर्तन/संशोधन को मान्य करते हुए अध्ययन मंडल के अध्यक्षों/सदस्यों द्वारा संशोधित पूर्ण सिलेबस तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया जा सकता है।

20 AUG 2020

निर्णय –

स्नातक पाठ्यक्रमों में परिवर्तन/संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव को आगामी केन्द्रीय अध्ययन मंडल की बैठक में प्रस्ताव प्रेषित किया जाय। डिप्लोमा/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों से संबंधित विषयों के सिलेबस में अध्ययन मंडल के अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन/संशोधन को मान्य करते हुए सत्र 2020–21 के प्रथम वर्ष/सेमेस्टर क्रमशः लागू करने का निर्णय लिया गया। लागू करने से पूर्व संशोधित पूर्ण सिलेबस तैयार कर अकादमिक विभाग में प्रस्तुत करने हेतु अध्ययन मंडल के विषय से संबंधित अध्यक्षों को पत्र प्रेषित किया जाय।

विषय क्रमांक –8

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई पूरक एजेण्डा।

निर्णय –

निरंक

20/8/2020 20/8/2020

कुलपति
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)